न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 60/2018/अपील

नारायणराम भेरी पुत्र हेमाराम भेरी, जाति जाट, निवासी गंगापुरा, तहसील रामगढ़ सेठान, जिला सीकर, राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) फतेहपुर।
2. तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः—

1. श्री नसीर अहमद खान अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.04.2018
द्वारा तहसीलदार, रामगढ़ शेखावाटी

निर्णय

निर्णय दिनांकः २८ फरवरी , 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः—

(1) अपीलान्ट द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराना 31/2/2 रकबा 7.33 है. वाके ग्राम गंगापुरा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर में से खातेदार नन्द–किशोर बोचीवाल से 1.69 हैक्टेय़र भूमि दिनांक 30.10.2015 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की थी। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग–65 के दक्षिण में अवस्थित है तथा उक्त भूमि 115 फुट सड़क से दूरी तय करके मौके पर खरीदी गई थी तथा कब्जा प्राप्त किया गया था। भूमि खरीदने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड अपीलान्ट के नाम दर्ज हो चुका है।

(2) भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के लिए जमीन अवाप्त की गई है। अवाप्त की गई भूमि में अपीलान्ट की कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है लेकिन नन्द किशोर बोचीवाल, शोकत अली पुत्र अब्दुल्ला कुरैशी व रमाकान्त गोयनका को अवार्ड राशि का भुगतान

जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

किया गया है, लेकिन उक्त भूमि संयुक्त खाते की होने की वजह से भौतिक रूप से मौके पर अपीलान्ट की भूमि अवाप्ति में नहीं आने के बावजूद इसका रकबा तहसीलदार द्वारा 1.69 हैक्टेयर के स्थान पर 1.48 हैक्टेयर दर्ज किया जा रहा है तथा नामान्तरकरण भूतल एवं परिवहन विभाग के नाम से दर्ज कर दिया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आदेश के बावजूद भी दुरूस्त नहीं किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 02.04.2018 को कायम रखा गया है।

(3) अपीलान्ट द्वारा खातेदार नन्दकिशोर बोचीवाल पुत्र द्वारका प्रसाद बोचीवाल से पुराने खसरा नम्बर 31/2/2 में से 1.639 हैक्टेयर भूमि ग्राम गंगापुरा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीद की थी। जिसके नये खसरा नम्बर 92 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 रकबा 4.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 2.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97/267 रकबा 0.5900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.3000 हैक्टेयर कुल किता 7 रकबा 7.33 हैक्टेयर है।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के लिए जमीन अवाप्त की गई थी, जिसका मुआवजा दिनांक 14.10.2014 को जिन खातेदारान की जमीन अवाप्त की गई थी, उनको अवार्ड दिया गया है। सह खातेदारान शोकत अली पुत्र अब्दुला कुरैशी, नन्दकिशोर पुत्र द्वारका प्रसाद व रमाकान्त पुत्र आत्माराम गोयनका को उनकी जमीन अवाप्त होने की वजह से मुआवजा दिया गया है लेकिन अपीलान्ट की जमीन अवाप्त नहीं की गई है, इसलिए उसे कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है तथा ना ही मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है, लेकिन अवाप्त की गई भूमि का जो नामान्तरकरण भरा गया है, उसमें आनुपातिक रूप से संयुक्त खाते की भूमि होने से अपीलान्ट की भूमि का रकबा 1.69 हैक्टेयर से कम करके 1.4857 हैक्टेयर कर दिया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

(5) अपीलान्ट द्वारा इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के यहां भी आवेदन प्रस्तुत किया था। उस पर दिनांक 28.12.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आदेश पारित किया गया था कि सहखातेदारों की भूमि जो सड़क सीमा को छोड़कर क्रय की गई है, उनकी भूमि को मुक्त रखा जावे तथा इस सम्बन्ध में जांच करने का आदेश भी बार–बार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को भेजे गये है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आदेश को नहीं

जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

मानते हुए अपीलान्ट की भूमि को मुक्त नहीं रखा तथा गलत नामान्तरकरण अपीलान्ट की भूमि का रकबा कम करते हुए सरकार के हक में दर्ज कर दिया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का उक्त आदेश गैर कानूनी भौतिक स्थिति के विपरीत व मनमाना है।

(6) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आदेश के पश्चात आज से 13 दिन पूर्व पता किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आदेश की पालना की गई या नहीं की गई, तो पता चला कि आदेश खारिज कर दिया गया और पूर्व का नामान्तरकरण कायम रखा गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फमाई जाकर तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी का नामान्तरकरण आदेश कम संख्या 39 दिनांक 02.04.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिए नोटिस तलब किया गया।

3. बहस अपीलान्ट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के लिए जमीन अवाप्त की गई थी, जिसका मुआवजा दिनांक 14.10.2014 को जिन खातेदारान की जमीन अवाप्त की गई थी, उनको अवार्ड दिया गया है। सह खातेदारान शोकत अली पुत्र अब्दुला कुरैशी, नन्दकिशोर पुत्र द्वारका प्रसाद व रमाकान्त पुत्र आत्माराम गोयनका को उनकी जमीन अवाप्त होने की वजह से मुआवजा दिया गया है लेकिन अपीलान्ट की जमीन अवाप्त नहीं की गई है, इसलिए उसे कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है तथा ना ही मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है, लेकिन अवाप्त की गई भूमि का जो नामान्तरकरण भरा गया है, उसमें आनुपातिक रूप से संयुक्त खाते की भूमि होने से अपीलान्ट की भूमि का रकबा 1.69 हैक्टेयर से कम करके 1.4857 हैक्टेयर कर दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फमाई जाकर तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी का नामान्तरकरण आदेश कम संख्या 39 दिनांक 02.04.2018 को निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :—

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

(1) सक्षम प्रधिकारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) फतेहपुर के अवार्ड आदेश दिनांक 15.09.2015 के मुताबिक दिनांक 14.10.2014 को एन.एच. 65 हेतु भूमि अवाप्ति बाबत अवार्ड आदेश जारी किया गया था। जिसमें शोकत अली पुत्र अब्दुला व्यापारी सा. रामगढ़ रकबा 0.38 हैक्टेयर, नन्द किशोर बोचीवाल पुत्र द्वारका प्रसाद, रमाकान्त गोयनका पुत्र आत्माराम गोयनका रकबा 6.95 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर साकिन फतेहपुर की कुल रकबा 7.33 हैक्टेयर भूमि में से क्रम संख्या 239 से 242 तक ग्राम गंगापुर के खसरा नम्बर 31/2/2 रकबा 8857.0855 (710.5475+2195.5775+2878.8932+555.5705+2516.4968)वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी।

(2) विक्रय पत्र दिनांक 02.11.2015 के मुताबिक अपीलान्ट नारायण राम ने नन्द किशोर बोचीवाल पुत्र द्वारका प्रसाद बोचीवाल से ग्राम गंगापुरा तहसील रामगढ़ शेखावाटी के एन.एच. 65 के दक्षिण में 1.69 हैक्टेयर भूमि क्रय की है, जो भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड आदेश दिनांक 14.10.2014 के बाद क्रय की गई है।

(3) जमाबन्दी ग्राम गंगापुरा पटवार हल्का खोटिया तहसील रामगढ़ शेखावाटी खाता संख्या नया 69 तथा पुराना 70 सम्वत् 2074–2077 दिनांक 30.08.2018 के अनुसार अपीलार्थी नारायण राम पुत्र हेमा राम के नाम से हिस्सा 169/733 हैक्टेयर 1.69 भूमि खातेदारी में दर्ज है।

(4) नामान्तरकरण प्रपत्र क्रम संख्या 39 दिनांक 02.04.2018 ग्राम गंगापुरा पटवार हल्का खोटिया तहसील रामगढ़ शेखावाटी के अनुसार पूर्व में अपीलार्थी के हिस्से में (169/733) 1.6900 हैक्टेयर भूमि दर्ज है, जिसे नये नामान्तरकरण खोलने पर अपीलान्ट की भूमि का रकबा 1.69 हैक्टेयर से कम करके 1.4857 हैक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। दिनांक 02.04.2018 को पटवारी हल्का द्वारा "मुताबिक आदेश के नाम दर्ज कर जांचकर निर्णय हेतु पेश है। सहवन से दर्ज होने के कारण खारिज योग्य है।" कि रिपोर्ट पेश करने पर तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 02.04.2018 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक के निरस्त किया गया है।

जिला कलक्टर, सीकर

जिला कलक्टर (राज.)

Scanned by CamScanner

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 02.04.2018 को दिनांक 11.04.2018 को निरस्त कर दिया है अर्थात कोई नामान्तरकरण स्वीकृत ही नहीं हुआ है, जिससे इस नामान्तरकरण को निरस्त करने सम्बन्धी अपील ही औचित्यहीन है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक :25 **फरवरी, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकरॉल)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner